लोगों की गैरकानूनी सौदागिरी के शिकार ना बनें

कनाडा में नौकरियां।
$500 प्रति सप्ताह!

कनाडा में
काम करें!

“मैं आपको कनाडा में नौकरी दिलवा सकता हूँ।”

कनाडा में
सुनिश्चित नौकरियां!

किसी डिप्लोमा की
जरूरत नहीं!

Canada

जो व्यक्ति आपको कनाडा आने में आपकी मदद कर रहा है, वह आपको सपने दिखा सकता है कि यहाँ आपको तरक्की के कितने अवसर मिलेंगे और आप कितना अधिक पैसा कमाएंगे। सुनने में तो सब अच्छा लगेगा।

लोगों की सौदागिरी करना गैरकानूनी है। ये धंधा करने वाले, लोगों को एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं और उनसे जरूरत से ज्यादा काम, कम या बिना पैसों के, दुखदायक और कभी-कभी खतरनाक काम करवाकर, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। लोगों की सौदागिरी, इक्कीसवीं शताब्दी का गुलामों की सौदागिरी का धंधा है।

सावधान रहें, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार नहीं हैं और वे लोगों की सौदागिरी भी करते हैं।

"यह ठीक नहीं है, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें जेल जाना चाहिये।

वास्तविकता

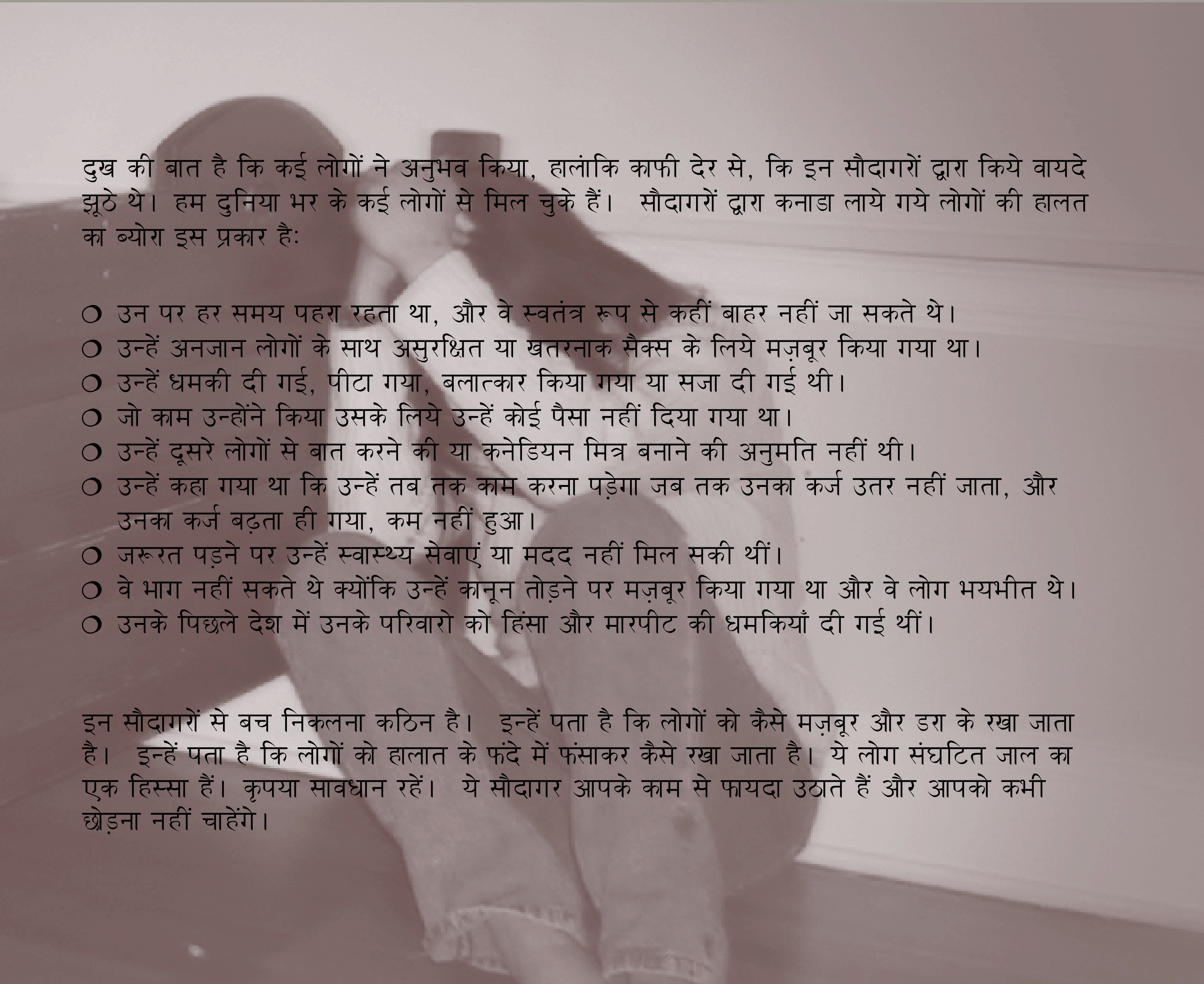

दुख की बात है कि कई लोगों ने अनुभव किया, हालांकि काफी देर से, कि इन सौदागरों द्वारा किये वायदे झूठे थे। हम दुनिया भर के कई लोगों से मिल चुके हैं। सौदागरों द्वारा कनाडा लाये गये लोगों की हालत का ब्योरा इस प्रकार है:

- उन पर हर समय पहरा रहता था, और वे स्वतंत्र रूप से कहीं बाहर नहीं जा सकते थे।
- उन्हें अनजान लोगों के साथ असुरक्षित या खतरनाक सैक्स के लिये मज़बूर किया गया था।
- उन्हें धमकी दी गई, पीटा गया, बलात्कार किया गया या सजा दी गई थी।
- जो काम उन्होंने किया उसके लिये उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया था।
- उन्हें दूसरे लोगों से बात करने की या कनेडियन मित्र बनाने की अनुमति नहीं थी।
- उन्हें कहा गया था कि उन्हें तब तक काम करना पड़ेगा जब तक उनका कर्ज उतर नहीं जाता, और उनका कर्ज बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ।
- जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं या मदद नहीं मिल सकी थीं।
- वे भाग नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें कानून तोड़ने पर मज़बूर किया गया था और वे लोग भयभीत थे।
- उनके पिछले देश में उनके परिवारो को हिंसा और मारपीट की धमकियाँ दी गई थीं।

इन सौदागरों से बच निकलना कठिन है। इन्हें पता है कि लोगों को कैसे मज़बूर और डरा के रखा जाता है। इन्हें पता है कि लोगों को हालात के फंदे में फंसाकर कैसे रखा जाता है। ये लोग संघटित जाल का एक हिस्सा हैं। कृपया सावधान रहें। ये सौदागर आपके काम से फायदा उठाते हैं और आपको कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे।

हम जानवर नहीं हैं - जानवर भी हमसे कहीं ज्यादा सुखी हैं।"

\- सौदागर द्वारा कनाडा में शिकार बनाकर लाये गये का संदेश

कनाडा सरकार का संदेश

हमें खुशी है कि आप कनाडा आना चाहते हैं। हमें अपने देश पर गर्व है और इस पर भी कि वह अपने नागरिकों, नए आने वालों और घूमने आने वालों के लिये क्या क्या करता है।

कनाडा में इमिग्रैन्ट्स, अस्थायी काम करने वाले, विद्यार्थी या पर्यटक के रूप में आने वाले लोगों के लिये कुछ तौर-तरीके हैं। उन शरणार्थियों के लिये जिनकी जान खतरे में है और जिन्हें अपने देश से भागना पड़ता है, उनके लिये भी कुछ खास तौर-तरीके हैं। यदि आप कनाडा आना चाहते हैं तो कृपया हमारे नियमों का पालन करें।

आपको पता होना चाहिये कि कनाडा, विश्व के कई देशों के साथ मिलकर लोगों की सौदागिरी को रोकने का प्रयास कर रहा है। ये लोगों का सौदा करने वाले, कनाडा जैसे देशों में अच्छी नौकरी की लालच देकर लोगों को भर्ती करते हैं, और फिर उन्हें खतरनाक और अपमानजनक हालत में काम करने के लिये मज़बूर करते हैं। ये सौदागर, लोगों से काम के बारे में झूठ बोलते हैं, कम या बिना पैसों में काम करने के लिये मज़बूर करते हैं, छूटकर भागने से रोकते हैं और कभी-कभी इन लोगों को किसी और के हाथ बेच भी देते हैं।

लोगों की सौदागिरी करने वालों के लिये हमारे कानून सख्त हैं जिनमें जुर्माना और कैद की सजा भी शामिल हैं। हम नहीं चाहते कि इस आधुनिक-युग के गुलामों की सौदागिरी के धंधे में कनाडा भागीदार बने।

आपके देश में कनेडियन इमिग्रेशन का औफिस आपको बता सकता है कि कनाडा में कानूनी तरीके से कैसे आ सकते हैं। आपके पास का कनेडियन दूतावास या काउन्सलेट आपको बता सकता है कि स्थानीय कनेडियन इमिग्रेशन औफिस कहाँ है।

कनाडा में काम करने के लिये आपको वर्क परमिट की आवश्यकता है

विदेशी, जो कनाडा में आकर यहाँ काम करना चाहते हैं, उनके पास वर्क परमिट होना आवश्यक है। आपको अपना देश छोड़ने से पहले यह जरूरी है कि आप खुद या आपको नौकरी देने वाला कनेडियन इमिग्रेशन औफिस में वर्क परमिट के लिये अर्जी भरे। यदि आप कनाडा में काम करना चाहते हैं तो कनाडा में प्रवेश के समय आपके पास वर्क परमिट होना आवश्यक है। कनाडा में घूमने के बहाने यहाँ आकर आप काम करना शुरु नहीं कर सकते हैं।

लोगों की सौदागिरी रोकने के कानून

गैर-कानूनी मकसद के लिये आदमी, औरत और बच्चों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने वाली सौदागिरी को कनाडा और अन्य देश रोकना चाहते हैं। अवैध दवाइयां बेचने के बदले ये अपराधी, लोगों को बेचते हैं। ये सौदागर, लोगों को फुसलाते हैं कि उन्हें नये देशों में अच्छी नौकरी मिलेगी जहाँ वे अच्छी जिन्दगी बिता सकेंगे और अपने देश की तुलना में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है।

ये अपराधी, लोगों को दुखदायक और खतरनाक काम जरूरत से ज्यादा घंटो पर बिना किसी पैसों के काम करने के लिये मज़बूर करते हैं। जो लोग कहना नहीं मानते या भागने का प्रयास करते हैं, उन्हें ये लोग चोट भी पहुँचा सकते हैं। वे आपके अपने देश में आपके परिवार को भी चोट पहुँचा सकते हैं ताकि आप काम छोड़कर न भाग सकें। वे आपको अवैध दवाइयां लेने और कानून तोड़ने के लिये भी मज़बूर कर सकते हैं। वे आपको इतना डरा देते हैं कि आप हालात छोड़कर भाग भी नहीं सकते। आप उनके कैदी बन जाते हैं।

इस तरह लोगों को बेचना या उन पर काबू रखना कनाडा में गैर-कानूनी है, और दुनिया भर के अन्य देशों में भी।

कनाडा में जिन के खिलाफ लोगों की सौदागिरी का जुर्म साबित हो जाता है, उन्हें $1 000 000 तक का जुर्माना और आजीवन कैद की सजा भी हो सकती है।

कनाडा के कानून

कनाडा में ये सब जुर्म हैं

आक्रमण सम्बंधी अपराध :

- किसी को भी, जिसमें आपकी पत्नी या पति भी शामिल है, पीटना, लात मारना, घूसा मारना, चिमटी लेना या चांटा मारना
- आपको, आपके बच्चे, परिवार के सदस्य या मित्र को चोट पहुँचाने की धमकी देना
- किसी को एक जगह कैद रखना और उसे बाहर आने-जाने न देना या औरों से मिलने-जुलने न देना
- किसी के भी साथ, जिसमें आपकी पत्नी या पति भी शामिल है, मरजी के खिलाफ सैक्स करना

सैक्स और अवैध दवाइयों सम्बंधी अपराध :

- सार्वजनिक स्थान में किसी से भी पैसे के बदले सैक्स के लिये पूछना
- ऐसी जगह उपस्थित रहना जहाँ लोग पैसा देकर सैक्स खरीदते हैं
- सैक्स सेवाएं बेच कर मिले पैसे से जीवन बिताना
- किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ सैक्स के लिये मज़बूर करना
- 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों की सैक्स सेवाएं खरीदना
- अवैध दवाइयां, जैसे गांजा, भांग, कोकेन और अफीम लेना, देना, बेचना या किसी तक पहुँचाना

कनाडा में, काम करने वालों की सुरक्षा के लिये भी कानून हैं। यह कानून के खिलाफ है :

- बिना पैसे के काम के लिये किसी को मज़बूर करना
- बिना छुट्टी के दिन-रात किसी से काम करवाना
- खतरनाक जगह में किसी से काम करवाना जहाँ वह सुरक्षित ना हो

लोगों की सौदागिरी को रोकना कनाडा के लिये एक महत्वपूर्ण बात है। आप सहायता कर सकते हैं। ना गैर-कानूनी तरीके से कनाडा में आएं ना कनाडा में गैर-कानूनी नौकरी करें। यदि आप कनाडा आते हैं और कोई ऐसी नौकरी करनी पड़ जाये जहाँ नौकरी देने वाला आप पर काबू रखता है और आपको गुलाम समझता है, तो पुलिस को खबर करें। उन्हें बताएं कि क्या हो रहा है। अपनी हालत से निकलने का यह आपका एकमात्र रास्ता हो सकता है। लेकिन सावधान रहें। बेईमान नौकरी देने वाले और अपराधी, जो लोगों की सौदागिरी करते हैं, खतरनाक होते हैं और वे आपको पुलिस के साथ बात करने से रोकने का प्रयास करेंगे।

बच्चों को भी खतरा है

कई बार लोगों के सौदागर, मां-बाप से उनके बच्चे खरीदने का प्रयास करते हैं या उन्हें अपने बच्चों को बाहर भेज देने के लिये यह कह कर फुसलाते हैं कि वे परिवार के लिये पैसा कमाएंगे। बड़े बच्चे जो घर छोड़ कर भाग जाते हैं, ऐसे सौदागरों के आसानी से शिकार बन जाते हैं।

छोटे और बड़े बच्चों का सौदा अक्सर अवैध दवाइयों और सैक्स के धंधों के लिये होता है।

प्रश्न और उत्तर

प्र : यह मुझे पता नहीं कि जो व्यक्ति मुझे कनाडा में नौकरी दे रहा है उस पर मैं भरोसा कर सकता हूं या नहीं?

उ :

1 सावधान रहें। कनाडा में एक कहावत है "जो बात सुनने में जरूरत से ज्यादा अच्छी लगती है वह शायद वास्तविकता में भी विश्वास करने लायक नहीं।" पैसों के झूठे वायदों में ना फंसें। हो सकता है आपको अपनी भूल की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़े।

2 अपने परिवार के बारे में कुछ ना बताएं ना ही कि वे कहाँ रहते हैं। इस जानकारी के बल पर ये अपराधी आपको ऐसे काम करने के लिये मज़बूर कर सकते हैं जो आप करना नहीं चाहते। यदि आप कनाडा आते हैं और उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो वे आपके अपने देश में आपके बच्चों, मां-बाप या अन्य पारिवारिक सदस्यों को चोट पहुँचा सकते हैं।

3 आपको नौकरी देने वालों, नौकरी और अपने काम करने की जगह के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि आपको कोई यह कहे कि यह जानकारी गुप्त है तो सचेत हो जाएं।

4 कनाडा आने में आपको मदद करने वालों, नौकरी और काम करने की जगह के बारे में, अपना देश छोड़ने से पहले, अपने परिवार या मित्रों को पूरी-पूरी जानकारी दें।

> **"झूठ पर विश्वास ना करें, यहाँ कोई स्वतंत्रता, कोई पैसा, कोई सुख नहीं है ... घर पर ही रहें, कम से कम आपका परिवार और आपका आत्म-सम्मान सुरक्षित रहेगा।"**
>
> - सौदागर द्वारा कनाडा में शिकार बनाकर लाये गये का संदेश

प्र : मुझे "ऐन्टरटेनर" की नौकरी मिली है। मुझे क्या काम करना पड़ेगा?

उ : जो व्यक्ति आपको यह नौकरी दे रहा है उससे पूछें कि आपसे ठीक-ठीक क्या क्या करने की उम्मीद की जाती है। उस व्यक्ति के साथ लिखित समझौता करने का प्रयास करें। समझौते में लिखा होना चाहिये कि आप क्या काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे और उस काम का कितना पैसा मिलेगा।

"ऐन्टरटेनर" का दूसरे शब्दों में यह मतलब भी हो सकता है कि आप सैक्स के धंधे में काम करेंगे। सैक्स के धंधे में कुछ काम कानूनी हैं, जैसे कि बिना स्पर्श का नंगा-नृत्य। सैक्स के धंधे में कई काम गैर-कानूनी हैं, जैसे कि ऐसी जगह मौजूद रहना जहाँ पैसे देकर सैक्स खरीदा जाता है।

प्र : जो नौकरी देने वाला मुझे कनाडा लेकर आया है, उसके साथ मुझे कितने समय तक काम करना पड़ेगा?

उ : कोई भी काम देने वाला आपको नौकरी पर टिके रहने के लिये मज़बूर नहीं कर सकता। लेकिन, बेईमान नौकरी देने वाले लोग आप पर पूरे समय निगरानी रख सकते हैं ताकि आप उन्हें छोड़कर न जा सकें। या, आप यदि उनका काम करने से इन्कार करते हैं, या नौकरी छोड़ते हैं तो आपको आपके अपने देश वापिस भेजने की धमकी दे सकते हैं, या आपको या आपके परिवार को चोट पहुँचाने की धमकी दे सकते हैं।

प्रश्न और उत्तर

प्र : मुझे कहा गया है कि मैं यहाँ जितना 6 महीने में कमाता हूँ उससे कहीं ज्यादा इस नौकरी से मैं कमा लूंगा। क्या यह सम्भव है?

उ : सम्भवतः नहीं। नौकरी देने वाले झूठ बोलेंगे कि आपको कितनी तनखा मिलेगी और फिर आप जितना कमाएंगे उतना पूरा का पूरा वापिस ले लेने का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। वे कहेंगे कि खाने के लिये, रहने की जगह के लिये और आपको कनाडा लाने के लिये आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। कनाडा में चीज़ें महंगी भी हैं। सुनने में भले आपको तनखा ज्यादा लगे, लेकिन आपको जल्द ही पता चल जायेगा कि अच्छी जगह रहने और खाने के लिये वह पर्याप्त नहीं है।

प्र : एक बार कनाडा में आ जाने के बाद क्या मैं कनाडा और युनायटेड स्टेट्स में घूम सकता हूँ?

उ : जब आप कानूनी तरीके से कनाडा आते हैं और आपके पास कानूनी पासपोर्ट और वर्क परमिट होता है तब आप कनाडा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं। युनायटेड स्टेट्स में प्रवेश करने के लिये आपको युनायटेड स्टेट्स सरकार को अर्जी देनी पड़ेगी। युनायटेड स्टेट्स सरकार अपने नियमों के आधार पर निश्चित करेगी कि आप युनायटेड स्टेट्स में जा सकते हैं या नहीं।

लोगों का सौदा करने वाला व्यक्ति आपका पासपोर्ट और वर्क परमिट छीनकर आपको घूमने-फिरने से रोक सकता है। यह एक तरीका है जिसके द्वारा सौदागर आपको ऐसी जगह फँसाकर रखते हैं जहाँ आप रहना नहीं चाहते, या ऐसा काम करना नहीं चाहते। अपके पासपोर्ट और वर्क परमिट सदा अपने पास ही रखने का ध्यान रखें। किसी और को रखने के लिये कभी ना दें।

"हर दिन एक समान है, मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिर्फ यही रास्ता है कि मैं अपना शरीर बेचूं, अन्यथा मैं जी नहीं सकती।"

- सौदागर द्वारा कनाडा में शिकार बनाकर लाये गये का संदेश

प्र : क्या मेरे देश में कोई संस्था है जो मुझे अधिक जानकारी पाने में मदद कर सकती है?

उ : कुछ देशों में, लोगों को ऐसे सौदागरों से बचने के लिये ह्यूमन-राईट्स की संस्थाएं काम कर रही हैं। उसी तरह, संयुक्त-राष्ट्र संघ की संस्थाएं, जैसे इन्टरनैशनल लेबर औरगनाईज़ेशन आपके देश में किसी योजना से जुड़ी हो सकती हैं।

यह पत्रिका कनाडा सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है।

कनाडा में सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है?

यदि आप कनाडा में, लोगों की सौदागिरी करने वालों के काबू में हैं तो इन कुछ बातों को जानना आवश्यक है :

9-1-1 इमरजन्सी सेवाएं

कनाडा में किसी भी शहर में 9-1-1 को फोन करें और आप तुरन्त पुलिस, फायर डिपार्टमैंट या ऐम्बूलैन्स सेवाओं से सम्पर्क कर सकते हैं। फोन का उत्तर देने वाले को अपनेआप पता चल जाता है कि आप कहाँ से फोन कर रहे हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप उसको बता सकते हैं कि आपकी भाषा क्या है। आपकी भाषा में आपसे बात करने वाला वहाँ मौजूद हो सकता है। यदि आप थोड़ी-बहुत अंग्रेजी या फ्रैन्च बोल सकते हैं, तो समझाने का प्रयास करें कि आपने फोन क्यों किया है। फोन का उत्तर देने वाला तुरन्त आपके पास पुलिस, फायर या ऐम्बूलैन्स की सेवाएं भेज देगा।

इमरजन्सी शैल्टर्स

अधिकतर शहरों और बस्तिओं में ऐसे सुरक्षित स्थान हैं जहाँ आप तुरन्त जा सकते हैं यदि आपके पास रहने की कोई और जगह ना हो या आप खतरे में हों और आपको सुरक्षित स्थान की जरूरत है। फोन-बुक, लायब्रेरी या पुलिस से उनका फोन नम्बर आपको मिल सकता है।

डौक्टर और अस्पताल की सेवा

यदि आप बीमार हैं, तो आप डौक्टर के पास या अस्पताल में जा सकते हैं। कुछ शहरों में हैल्थ क्लीनिक भी हैं जहाँ आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं बिना यह जाहिर किये कि आप कौन हैं या क्या काम करते हैं।

कम्यूनिटी की मदद

कनाडा में कई संस्थाएं हैं जो तकलीफ में पड़े लोगों की मदद करती हैं। बलात्कार-पीड़ितों की सेवाएं, पीड़ित औरतों के लिये घर, कनाडा में नवागन्तुओं के लिये संस्थाएं, जो वकील नहीं कर सकते उनके लिये लीगल क्लीनिक, जुर्म के शिकार लोगों के लिये विशेष सेवायें, और धार्मिक संस्थायें जो कि विभिन्न सेवा-सहायता प्रदान करती हैं। आपके देश के लोग जो अब कनाडा में रहते हैं, मिलजुलकर एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। इन संस्थाओं से कैसे सम्पर्क हो सकता है इसकी जानकारी आपको कम्यूनिटी सैन्टर्स, पब्लिक लायब्रेरी, फोन-बुक या लोगों से पूछताछ करके मिल सकती है।

काम की अनुचित स्थिति

कनाडा के कानूनों के अनुसार नौकरी देनेवालों के लिये यह जरूरी है कि वे आपको निर्धारित न्यूनतम तनखा दें और काम से जुड़े कुछ अन्य फायदे भी दें। मिनिस्ट्री औफ लेबर औफिस आपको जानकारी दे सकता है और सहायता भी यदि आपको सही-सही तनखा नहीं मिल रही है या छुट्टी नहीं मिल रही या आपको खतरनाक हालत में काम करना पड़ता है।